

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 जुलाई, 2017

शुद्धिपत्र

सा.का.वन. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 778(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 43/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 में, -

- (i) पृष्ठ 29 की पंक्ति 10 में "उपधारा (7) के अधीन" के स्थान पर "उपधारा (7) और उपधारा (9) के अधीन क्रमशः " पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 29 की पंक्ति 11 में "एकीकृत कर" के स्थान पर "एकीकृत कर तथा माल और सेवा प्रतिपूर्ति उपकर" पढ़ें ;
- (iii) पृष्ठ 30 की पंक्ति 2 में "उपधारा (7) के अधीन" के स्थान पर "उपधारा (7) और उपधारा (9) के अधीन क्रमशः " पढ़ें ;
- (iv) पृष्ठ 30 की पंक्ति 3 में "एकीकृत कर" के स्थान पर "एकीकृत कर तथा माल और सेवा प्रतिपूर्ति उपकर" पढ़ें ।

[फा.सं.]

354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि बिष्ट)  
अवर सचिव, भारत सरकार